

30/7/24

Handwritten notes: "Note press" and "30/7/24" with a signature.

प्राची अधिवक्ता उपस्थित। प्राची पत्र अंतर्गत धारा 312 RTI नोटिस किया। प्राची अधिवक्ता को खुला गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। लिहाजा प्राची अधिवक्ता द्वारा प्राची पत्र अंतर्गत धारा 312 RTI नोटिस करने पर प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किया जाकर प्रकरण में जारी अस्थापी निवेदासा दिनांक 22/05/2024 भी निरस्त की जाती है। पत्रावली बिगति होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।



उपखण्ड अधिकारी (राजवादे)  
श्री करणपुर